श्री कुन्दन कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 18/02/729 का उत्तर प्रतिवेदनः-

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- 1. क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत, बेगूसराय, बरौनी एवं अन्य प्रखंडों के चौर क्षेत्रों की हजारों एकड़ भूमि जुलाई से दिसम्बर माह तक वर्षा के पानी से जलमग्न रहती है, जिसके कारण किसान फसल की बुआई करने से वंचित रह जाते है ? 2. क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण, उपजाउ भूमि साल के 6–7 महीने बेकार पड़ी रहती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति होती है ? 3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों को लाभ दिलाने हेतु, उक्त चौर क्षेत्रों से बरसात के पानी की निकासी के लिए राज्य योजना के अंतर्गत जल निकासी की विशेष परियोजना स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत बेगुसराय, बरौनी एवं अन्य प्रखंडों के चौर क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जल जमाव होता है। जिसका अधिकांश पानी सतही बहाव द्वारा सूरी नाला, बाया नाला, घोरमारा नाला, मुसबारा नाला, कांवर नाला के माधयम से होते हुए प्रश्नगत जिला में बूढ़ी गंडक नदी में मिलता है एवं मृत बागमती नदी का पानी खगड़िया जिला में अंतिम रुप से बागमती नदी में मिलती है। वर्णित नालों एवं मृत बागमती नदी में आंशिक रुप से गाद जमा होने के कारण जल की निकासी धीमी गति से होती है। वर्तमान में प्रश्नगत प्रखंडों के चौर क्षेत्रों में किसानों द्वारा रबी फसलों की खेती की जा रही है। बेगुसराय जिलान्तर्गत वर्णित प्रखंडों के चौर क्षेत्रों से जल निकासी हेतु सर्वेक्षण कार्य कर योजनाओ को चिन्हित कर मनरेगा के तहत कार्यान्वयन निमित कार्यवाई की जा रही है। इस क्रम में सूरी नाला, मुसबारा नाला, कांवर नाला की सूची जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा को भेजा जा चूका है। बाया नाला, घोरमारा नाला एवं मृत बागमती नदी का पंचायतवार योजना की सूची तैयार करने की कार्यवाई की जा रही है। योजना कार्यान्वयन के उपरान्त जल निकासी शीघ्रता से हो सकेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(सम0)–05–17/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18/2/729 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(सम0)–05–17/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(सम0)–05–17/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(सम0)–05–17/2026– 917 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.02.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
19.02.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo